119

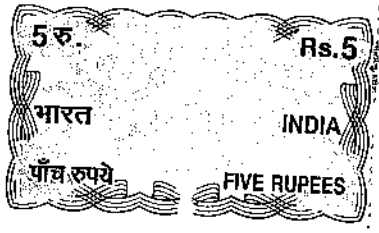

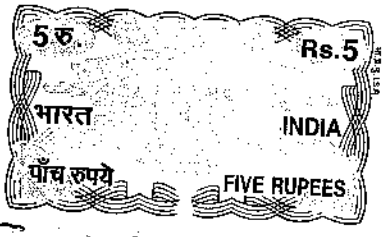

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर कैम्प जबलपुर

राजस्व पुनरीक्षण प्रकरण कमांक /2016 जिला जबलपुर

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक	मनोज बरकड़े उम्र 26 वर्ष पिता श्री सुखलाल बरकड़े निवासी 59, ग्राम टीगन तहसील व जिला जबलपुर म0प्र0
	विरूद्ध
गैर पुनरीक्षणकर्ता/अनावेदक	1- श्री रोहित तिवारी उम्र 37 वर्ष पिता श्री प्रमोद तिवारी निवासी शास्त्री नगर, त्रिपुरी वार्ड, जबलपुर म0प्र0
	2- म0प्र0 शासन द्वारा कलेक्टर, जिला जबलपुर

रिविजन अंतर्गत धारा 50 म.प्र. भू.रा. संहिता, 1959

पुनरीक्षणकर्ता/आवेदक निम्नलिखित निवेदन करता है कि :-

आवेदक द्वारा कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक क्रमांक 8/अ-21/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 25.04.2016 से व्यथित होकर निम्न वर्णित तथ्यों एवं आधारों पर प्रस्तुत की गई है :-

रिवीजन के तथ्य

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 1403-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
4-5-16	यह निगरानी कलेक्टर, जबलपुर द्वारा प्रकरण क्रमांक 08/अ-21/15-16 में पारित आदेश दिनांक 25-4-16 के विरूद्ध म0प्र0 भू-राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संहिता कहा जायेगा) की धारा 50 के तहत प्रस्तुत की गई है । 2- आवेदक के विद्वान अधिवक्ता द्वारा प्रस्तुत तर्कों पर विचार किया एवं उनकी ओर से की ओर से प्रस्तुत अधीनस्थ न्यायालय की आदेश पत्रिकाओं एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया । दस्तावेजों के अवलोकन से स्पष्ट होता है कि यह प्रकरण आवेदक मनोज बरकड़े पिता श्री सुखलाल बरकड़े द्वारा अधीनस्थ न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत भूमि विक्रय के आवेदन पर प्रारंभ हुआ है । जिसमें आवेदक द्वारा अपने स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पिपरिया प.ह.नं. 41 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 385 रकबा 1.00 हैक्टर को गैर आदिम जनजाति के सदस्य श्री रोहित तिवारी पिता श्री प्रमोद तिवारी को विक्रय करने की अनुमति देने का अनुरोध किया गया है । उक्त आवेदन कलेक्टर द्वारा अनुविभागीय अधिकारी को जांच कर प्रतिवेदन हेतु भेजा गया । अनुविभागीय अधिकारी ने उक्त आवेदन अतिरिक्त . तहसीलदार, बरगी को जांच हेतु भेजा गया । जिस पर से अतिरिक्त तहसीलदार द्वारा विधिवत जांच कर तथा उभयपक्ष के कथन लेने के उपरांत भूमि विक्रय का प्रतिवेदन अनुविभागीय अधिकारी के माध्यम से कलेक्टर को प्रस्तुत किया गया है । प्रतिवेदन प्राप्त होने के उपरांत आवेदक द्वारा कलेक्टर के समक्ष शीघ्र सुनवाई कर अनुमति देने हेतु आवेदन पेश किया गया जिसे कलेक्टर ने आलोच्य आदेश द्वारा खारिज किया गया है ।	

XXXIX

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर

कलेक्टर के इस आदेश के विरूद्ध यह निगरानी पेश की गई है । आवेदक अधिवक्ता का कहना है कि आवेदक पर बैंक का ऋण बकाया है, इस कारण उसे चुकाने हेतु शीघ्र सुनवाई का आवेदन दिया गया है प्रकरण में प्रतिवेदन प्राप्त हो जाने के कारण उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रकरण का निराकरण यथाशीघ्र करने का अनुरोध किया गया था ऐसी स्थिति में कलेक्टर को प्रकरण का निराकरण गुणदोषों पर करना चाहिए था उनके द्वारा ऐसा न करते हुए प्रकरण में 3 माह आगे की तिथि नियत करदी है जो न्यायोचित नहीं है । दर्शित परिस्थिति में इस न्यायालय द्वारा ही उनके द्वारा जिलाध्यक्ष के समक्ष प्रस्तुत आवेदन का निराकरण गुणदोष पर करते हुए उन्हें आवेदित भूमि विक्रय की अनुमति दी जाये । मेरे द्वारा आवेदक की ओर से प्रस्तुत आदेश पत्रिकाओं, नायब तहसीलदार एवं अनुविभागीय अधिकारी के प्रतिवेदनों एवं अन्य दस्तावेजों का अवलोकन किया गया । तहसीलदार ने अपने प्रतिवेदन में स्पष्ट उल्लेख किया गया है कि प्रकरण दर्ज किया जाकर इश्तहार प्रकाशन कर दावा आपत्ति आमंत्रित की गई किंतु इश्तहार पर कोई आक्षेप नहीं आया । प्रश्नाधीन भूमि शासकीय नहीं है, ग्राम में जनजाति के लोग हैं किंतु वे भूमि क्रय करना नहीं चाहते । भूमि विक्रय करने से आवेदक पर विपरीत असर नहीं पड़ेगा । उक्त भूमि विक्रय के उपरांत आवेदक के पास 4.360 हैक्टर भूमि ग्राम चंदेरी में में शेष बचती है । अतः प्रकरण की समग्र स्थिति पर विचार के पश्चात आवेदक को उसके स्वामित्व एवं आधिपत्य की ग्राम पिपरिया प.ह.नं. 41 रा.नि.मं. बरगी तहसील व जिला जबलपुर स्थित भूमि खसरा नं. 385 रकबा 1.00 हैक्टर भूमि को विक्रय करने की अनुमति निम्न शर्तों के साथ प्रदान की जाती है ।

1- यदि प्रस्तावित क्रेता वर्तमान चालू वर्ष की गाइड लाइन की दर से

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण क्रमांक निग0 1403-एक/16 जिला - जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
	भूमि का मूल्य देने को तैयार हो । 2- क्रेता द्वारा विक्रय प्रतिफल की राशि (पूर्व में अनुबंध के समय दी गई अग्रिम राशि को कम करके) आवेदक के खाते में जमा की जायेगी । 3- भूमि के विक्रयपत्र का पंजीयन इस आदेश के दिनांक से 4 माह की समयावधि में निष्पादित कराना अनिवार्य होगा । निगरानी तद्नुसार निराकृत की जाती है । पक्षकार सूचित हों । सदस्य	

XXXIX(a)BR(H)-11

राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

प्रकरण कमांक निग0 1403–एक/16 जिला – जबलपुर

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेष	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
18–5–16	आवेदक की ओर से अधिवक्ता श्री के. के. द्विवेदी उपस्थित । उनके द्वारा संहिता की धारा 32 के तहत आवेदन प्रस्तुत कर बताया गया कि इस न्यायालय द्वारा दिनांक 4–5–16 को इस प्रकरण में आदेश पारित करते हुए शर्तों के साथ अनुमति प्रदान की गई है । परंतु टंकण की त्रुटिवश आदेश के पैरा 2 में सांतवी लाइन में एवं आदेश के पृष्ठ 2 पर नीचे सें चौथी लाइन में सर्वे नंबर 385/2 के स्थान पर सर्वे नंबर 385 टाइप हो गया है, जिसे न्यायहित में सुधारा जाये । आवेदक द्वारा बताई गई त्रुटि की पुष्टि अभिलेख से होती है । अतः न्यायहित में उक्त त्रुटि को सुधारा जाकर यह निर्देश दिए जाते हैं कि इस न्यायालय द्वारा इस प्रकरण में दिनांक 4–5–16 को पारित आदेश के पैरा 2 में सांतवी लाइन में एवं आदेश के पृष्ठ 2 पर नीचे से चौथी लाइन में सवे नंबर 385 के स्थान पर सर्वे नंबर 385/2 पढ़ा जाये । यह आदेश मूल आदेश का अंग रहेगा । सदस्य	